

भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
लोक सभा

लिखित प्रश्न संख्या : 3467

सोमवार, 10 अगस्त, 2023 (श्रावण 19, 1945 (शक)) को दिया जाने वाला उत्तर
विमानपत्तनों पर बाँडी स्कैनर लगाना

3467. श्री संजय सदाशिवराव मांडलिक

श्री श्रीरंग आप्पा बारणे

श्री धैर्यशील संभाजीराव माणे

श्री सुधीर गुप्ता

श्री प्रतापराव जाधव

श्री विद्युत बरन महतो

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विमानन सुरक्षा सलाहकार नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो (बीसीएएस) द्वारा देश के विभिन्न संवेदनशील विमानपत्तनों पर बाँडी स्कैनर लगाए जाने के संबंध में अप्रैल, 2019 में जारी किए गए निदेशों की स्थिति क्या है;

(ख) क्या देश में विमानपत्तनों पर बाँडी स्कैनर लगाने में विलंब हो रहा है जिसके कारण विमानपत्तन पर सुरक्षा से समझौता हो रहा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं ;

(घ) देश भर में प्रथम चरण में बाँडी स्कैनर लगाने के लिए चुने गए विमानपत्तनों की विमानपत्तन वार कुल संख्या कितनी है;

(ङ) देश के विभिन्न विमानपत्तनों पर बाँडी स्कैनर लगाने पर होने वाले संभावित व्यय की कुल राशि का ब्यौरा क्या है; और

(च) वर्तमान वर्ष के दौरान देश के विभिन्न विमानपत्तनों पर बाँडी स्कैनर लगाने के लिए सरकार द्वारा कुल कितनी धनराशि स्वीकृत और जारी की गई?

उत्तर

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (जनरल (डॉ.) विजय कुमार सिंह
(सेवानिवृत्त))

(क) से (च) : नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो द्वारा यात्रियों की स्क्रीनिंग के लिए बाँडी स्कैनर लगाए जाने की मानक प्रचालन प्रक्रिया के साथ साथ हवाईअड्डों पर संस्थापित

किए जाने वाले फुल बॉडी स्कैनरों के न्यूनतम मानक / तकनीकी विनिर्देशों के बारे में सूचित करने के लिए दिनांक 8.4.2019 को एक परिपत्र जारी किया गया था। देश के हवाईअड्डों से यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए विधिवत स्थापित सुरक्षा स्क्रीनिंग प्रणाली मौजूद है। आशा की जाती है कि फुल बॉडी स्कैनर का प्रयोग किए जाने से हवाईअड्डों पर विद्यमान सुरक्षा स्क्रीनिंग की प्रक्रिया सुदृढ़ हो सकेगी। प्रारंभिक चरण में फुल बॉडी स्कैनर दिल्ली, मुम्बई, बंगलुरु, हैदराबाद, चेन्नै, कोलकाता तथा अहमदाबाद में स्थापित किए जाने की योजना है। सरकार द्वारा हवाईअड्डों पर बॉडी स्कैनरों की स्थापना के लिए कोई निधि स्वीकृत / जारी नहीं की गई है। इसके व्यय का वहन हवाईअड्डा प्रचालकों द्वारा किया जाता है।
